# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 24/2019**

**अनवान :**

राजेश पुत्र श्री जयसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।

**– वादी**

**बनाम**

1. जयसिंह पुत्र विजयराम जाति जाट निवासी जोगीवाला।
2. राजवीर पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला।
3. सुनिता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला।
4. आरएमजीबी जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी**

**निर्णय** **दिनांक : 07-2-2024**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 74/68 के मु0नं0 168 के किला नं0 3, 4, 6 से 8, 12 से 18, 19/1 की 0.189 है0 22/1 की 0.189 है0 किला नं0 23 से 25 मु0नं0 177 के किला नं0 3/1 की 0.127 है0 किला नं0 4, 5, 7 किला नं0 8/1 की 0.127 है0 किला नं0 13/1 की 0.127 है0, किला नं0 14, 17 किला नं0 18/1 की 0.127 है0 किला नं0 23/1 की 0.127 है0 किला नं0 24 मु0नं0 205 के किला नं0 9 से 12, 19 से 21 मु0नं0 206 के किला नं0 25, मु0नं0 213 के किला नं0 5 , 6 कुल 8.8560 है0 जिसमें नहरी 4.7817 है0 बारानी 4.0490 है0, गै0मु0 खाला 0.0253 है0 में प्रतिवादी जयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 8.603 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 हिन्दु है एवं हिन्दु विधि विधान से शासित होते है वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक व हिस्सा है लेकिन वादभूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी जयसिंह के नाम से दर्ज है। इस प्रकार वादगत भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 3 चारों बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 3 सुनिता ने वाद अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि अपने सगे

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

भाईयों वादी राजेश एवं प्रतिवादी राजवीर के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क करते हुए अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 ने इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 74/68 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 11 जोगीवाला सम्वत् 2038 से 41 पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 का भी प्रतिवादी 1 जयसिंह के साथ जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादिया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा अपने सगे भाईयों वादी व प्रतिवादी राजवीर के पक्ष में बहिस्सा बराबर त्याग दिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में में अंकित किया है कि वाद भूमि प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 11 जोगीवाला सम्वत् 2038 से 41 पेश की है जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा विजयराम वल्द उदमीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में जयसिंह के वारिसान में पत्नी रती देवी, दो पुत्र राजेश कुमार व राजवीर एवं एक पुत्री सुनीता होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है तथा प्रतिवादीया सं0 3 ने राजीनामा अपना हक हिस्सा अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी राजवीर के पक्ष में त्याग किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 74/68 के मु0नं0 168 के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

किला नं0 3, 4, 6 से 8, 12 से 18, 19/1 की 0.189 है0 22/1 की 0.189 है0 किला नं0 23 से 25 मु0नं0 177 के किला नं0 3/1 की 0.127 है0 किला नं0 4, 5, 7 किला नं0 8/1 की 0.127 है0 किला नं0 13/1 की 0.127 है0, किला नं0 14, 17 किला नं0 18/1 की 0.127 है0 किला नं0 23/1 की 0.127 है0 किला नं0 24 मु0नं0 205 के किला नं0 9 से 12, 19 से 21 मु0नं0 206 के किला नं0 25, मु0नं0 213 के किला नं0 5 , 6 कुल 8.8560 है0 जिसमें नहरी 4.7817 है0 बारानी 4.0490 है0, गै0मु0 खाला 0.0253 है0 में प्रतिवादी जयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 8.603 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 24/2019**

**अनवान :**

राजेश पुत्र श्री जयसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
**– वादी**

**बनाम**

1. जयसिंह पुत्र विजयराम जाति जाट निवासी जोगीवाला।
2. राजवीर पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला।
3. सुनिता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला।
4. आरएमजीबी जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

**– प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 74/68 के मु0नं0 168 के किला नं0 3, 4, 6 से 8, 12 से 18, 19/1 की 0.189 है0 22/1 की 0.189 है0 किला नं0 23 से 25 मु0नं0 177 के किला नं0 3/1 की 0.127 है0 किला नं0 4, 5, 7 किला नं0 8/1 की 0.127 है0 किला नं0 13/1 की 0.127 है0, किला नं0 14, 17 किला नं0 18/1 की 0.127 है0 किला नं0 23/1 की 0.127 है0 किला नं0 24 मु0नं0 205 के किला नं0 9 से 12, 19 से 21 मु0नं0 206 के किला नं0 25, मु0नं0 213 के किला नं0 5 , 6 कुल 8.8560 है0 जिसमें नहरी 4.7817 है0 बारानी 4.0490 है0, गै0मु0 खाला 0.0253 है0 में प्रतिवादी जयसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में 8.603 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनों संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ) भादरा

**R.A.S.**
**सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)**
**भादरा, जिला हनुमानगढ़**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:46:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: